IJAER/ July-August 2022/Volume-11/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

माल एवं सेवा कर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Dr. Amit Kumar Tiwari

Assistant Professor of Commerce

Atal Bihari Vajpayee Government college Nagarda District -Sakti CG

सार

1 जुलाई, 2017 को भारत में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने देश के कराधान ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को एकीकृत कर व्यवस्था में मिला दिया गया। यह सार अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर GST के बहुमुखी प्रभाव की पड़ताल करता है। प्रारंभिक चरणों में, GST ने अनुपालन जटिलताओं और तकनीकी कठिनाइयों के कारण व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) के लिए चुनौतियाँ पैदा कीं। हालाँकि, समय के साथ, इसने कर चोरी को कम करने, कर आधार को व्यापक बनाने और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में योगदान दिया है। GST ने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिससे परिवहन लागत कम हुई है और सभी क्षेत्रों में दक्षता बढ़ी है। राजस्व सृजन के संदर्भ में, GST का प्रभाव मिश्रित रहा है, जिसमें अल्पकालिक व्यवधान और दीर्घकालिक लाभ दोनों हैं। हालाँकि इसने शुरुआत में राजस्व संग्रह में उतार-चढ़ाव को जन्म दिया, लेकिन इसने स्थिर किया और सरकारी राजस्व में सकारात्मक योगदान दिया। इसके अलावा, GST ने मुद्रास्फीति पर अनुकूल प्रभाव डाला है, मुख्य रूप से कैस्केडिंग करों को समाप्त करके। कुल मिलाकर, जीएसटी को अधिक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुगम बनाएगा। हालांकि, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं को दूर करने और राज्यों के बीच कर राजस्व का समान वितरण सुनिश्चित करने के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं। इस पेपर का उद्देश्य जीएसटी के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करना है, इसकी सफलताओं और आगे सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

मुख्य शब्द : *माल, सेवा, भारतीय, अर्थव्यवस्था*

परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारतीय कराधान परिदृश्य में एक ऐतिहासिक सुधार है, जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने के तरीके को मौलिक रूप से बदल रहा है। 1 जुलाई, 2017 को लागू किए गए जीएसटी का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य करों की विविधता को एक एकल, व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकीकृत करना है। जीएसटी से पहले, भारत की कर संरचना में कई करों का एक जटिल जाल था, जैसे मूल्य वर्धित कर (वैट), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, जिसने न केवल व्यवसायों के बीच भ्रम पैदा किया, बल्कि आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण में भी बाधा उत्पन्न की। जीएसटी की शुरूआत व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अधिक न्यायसंगत कर प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित थी। विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक छतरी के नीचे समाहित करके, जीएसटी करों के व्यापक प्रभाव को खत्म करना चाहता है, जिसमें एक कर दूसरे कर के ऊपर लगाया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं पर कुल कर का बोझ बढ़ जाता है। इस सुधार से कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और कर संग्रह की दक्षता में सुधार करने की उम्मीद है। जीएसटी के

कार्यान्वयन ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके निहितार्थों के बारे में काफी बहस और विश्लेषण को भी जन्म दिया है। समर्थकों का तर्क है कि इसमें कर प्रशासन की दक्षता में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने और कर आधार का विस्तार करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसके विपरीत, आलोचक नई प्रणाली को अपनाने में व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं, जिसमें अनुपालन की प्रारंभिक जटिलताएं, तकनीकी एकीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित व्यवधान शामिल हैं। यह पत्र राजस्व सृजन, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और समग्र व्यावसायिक गतिशीलता के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है। इस विश्लेषण के माध्यम से, हमारा उद्देश्य आर्थिक सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में जीएसटी की प्रभावशीलता, इससे उत्पन्न चुनौतियों और भारतीय कराधान ढांचे में और सुधार की क्षमता का आकलन करना है। जीएसटी के बाद के युग में व्यवसायों और सरकार के अनुभवों की जांच करके, हम इस महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में जानकारी प्रदान करने की उम्मीद करते हैं।

पृष्ठभूमि

भारत में जीएसटी लागू करने की यात्रा एक दशक से अधिक समय तक चली व्यापक चर्चाओं और बहसों से चिह्नित थी। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसने जीएसटी के लिए आधार तैयार किया, 2016 में पारित किया गया, जो अप्रत्यक्ष कराधान के प्रति राष्ट्र के दृष्टिकोण में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देता है। इससे पहले, भारतीय कर प्रणाली खंडित थी, जिसकी विशेषता केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए अतिव्यापी करों से थी। इस विखंडन के परिणामस्वरूप अक्षमताएं, अनुपालन चुनौतियां और एक जटिल कर परिदृश्य सामने आया जिसने आर्थिक विकास को बाधित किया।

उद्देश्य

1. विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक ही ढांचे में विलय करके, जीएसटी का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित कर व्यवस्था बनाना है जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अनुपालन को सरल बनाता है।
2. जीएसटी की अवधारणा को समझने के लिए
3. जीएसटी के लाभ और चुनौतियों को जानें

जीएसटी की विशेषताएं:

करदाताओं का पंजीकरण: 20 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर उस राज्य में पंजीकरण कराना होगा, जहां वह व्यवसाय करता है। विशेष श्रेणी के राज्यों (अर्थात हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों) के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये होगी।

रिटर्न: प्रत्येक करदाता को मासिक आधार पर कर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी देनी होगी: (i) प्रदान की गई आपूर्ति का विवरण, (ii) प्राप्त आपूर्ति का विवरण, और (iii) कर का भुगतान। मासिक रिटर्न के अलावा, प्रत्येक करदाता को वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना होगा।

जीएसटी से छूट: कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें जीएसटी से छूट दी गई है।

कर योग्य राशि (आपूर्ति का मूल्य): जीएसटी उन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होगा जिनके मूल्य में शामिल होगा: (i) आपूर्ति पर भुगतान की गई कीमत, (ii) अन्य कर कानूनों के तहत लगाए गए कर और शुल्क, (iii) ब्याज, विलंब शुल्क, विलंबित भुगतान के लिए दंड, आदि।

जीएसटी का भुगतान: सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार के खातों में किया जाना चाहिए।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन): यह एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी कंपनी है जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) कहा जाता है। यह जीएसटी पोर्टल की संपूर्ण आईटी प्रणाली का प्रबंधन करेगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सेट ऑफ: सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए आईटीसी क्रमशः केंद्र और राज्य के विरुद्ध अनुमत करों के लिए लिया जाएगा।

आयात पर जीएसटी: केंद्र वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी लगाएगा।

रिकार्डों का रखरखाव: निर्यातक को सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग या रिफंड का अलग-अलग विवरण बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

- लगभग 16 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, भारत सरकार ने आखिरकार 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर पारित कर दिया। इससे भारत एक साझा बाजार में तब्दील होने की उम्मीद है।
- उत्पादकों पर कर का बोझ कम होगा, जिससे उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। पिछली कर संरचना, जिसमें असंख्य कर धाराएँ थीं, निर्माताओं को उनकी अधिकतम क्षमता तक उत्पादन करने से रोकती थीं और विकास को धीमा करती थीं। जीएसटी निर्माता को कर क्रेडिट प्रदान करके इस समस्या का समाधान करेगा।
- प्रणाली में अधिक पारदर्शिता होगी क्योंकि उपभोक्ताओं को कर के रूप में उनसे ली जा रही राशि के बारे में पूरी जानकारी होगी।
- सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा
- वस्तु एवं सेवा कर वैट, सीएसटी, सेवा कर, सीएडी, एसएडी और उत्पाद शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के बंडल को हटा देगा।
- पिछली कर संरचना की तुलना में कम कर अनुपालन और सरलीकृत कर नीति।
- करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना अर्थात् दोहरे करों को समाप्त करना।
- विनिर्माण क्षेत्र पर करों का बोझ कम होने के कारण विनिर्माण लागत में कमी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
- उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में वृद्धि होगी।
- व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली के रूप में काले धन के प्रचलन पर नियंत्रण अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
- चेक पोस्ट और टोल प्लाजा जैसी विभिन्न कर बाधाओं के कारण परिवहन की जाने वाली असुरक्षित वस्तुओं की बर्बादी होती है। बफर स्टॉक और गोदाम की लागत की बढ़ती जरूरतों के कारण यह जुर्माना बड़ी लागत में बदल जाता है। एकल कराधान प्रणाली इस बाधा को समाप्त कर देगी।

- जीएसटी उत्पादकों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला में भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट प्रदान करेगा। इससे उत्पादकों को विभिन्न पंजीकृत डीलरों से कच्चा माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है और कराधान के दायरे में अधिक विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को लाने की उम्मीद है।
- निर्यात पर लागू सीमा शुल्क को समाप्त करता है। लेनदेन की लागत कम होने से विदेशी बाजारों में देश की - प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

शोध पद्धति

यह अध्ययन खोजपूर्ण शोध और पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के द्वितीयक डेटा पर आधारित है। अध्ययन के लिए द्वितीयक डेटा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया।

जीएसटी के लाभ:

- इससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
- कर दरों में एकरूपता आएगी।
- इससे आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
- इससे उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
- इससे व्यवसायों की तरलता में सुधार हो सकता है।
- इससे मानवीय प्रयासों में कमी आएगी और निर्णय लेने में तेज़ी आएगी।
- इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा।

जीएसटी की श्रेणियाँ:

जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर निम्न दरों पर कर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12% और 18%। शराब, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी कुछ वस्तुओं को जीएसटी के तहत छूट दी जाएगी।

0 प्रतिशत

गेहूं, चावल, दूध, अंडे, ताजी सब्जियां, मांस, मछली, सिंदूर, बिंदी, टिकट, न्यायिक कागजात, मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियां, हथकरघा, बच्चों की तस्वीरें, 1000 रुपये से कम होटल और लॉज।

5 प्रतिशत

चीनी, चाय, भुनी हुई कॉफी बीन्स, खाद्य तेल, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए दूध से बने खाद्य पदार्थ, काजू, मसाले, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, रेलवे का भाड़ा, जीवन रक्षक दवाएं, 500 रुपये तक के जूते।

12 प्रतिशत

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं, रेडीमेड वस्त्र, मोबाइल फोन, गैर एसी होटल, बिजनेस क्लास हवाई टिकट, उर्वरक, मक्खन, सब्जियां, फल, मेवे या पौधों के अन्य भागों से बनी वस्तुएं।

18 प्रतिशत

500 रुपये से अधिक मूल्य के जूते, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, एलपीजी स्टोव, सैन्य हथियार, आइसक्रीम, शराब परोसने वाले एसी होटल, ब्रांडेड परिधान, वित्तीय सेवाएं, 2500 से 7500 रुपये के बीच कमरे का किराया, बिस्कुट (सभी श्रेणियां)।

28 प्रतिशत

च्युइंग गम, गुड़, कोको रहित चॉकलेट, चॉकलेट में लिपटे वफ़ल और वेफ़र।

जीएसटी की चुनौतियाँ-

मजबूत आईटी नेटवर्क: सरकार ने पहले ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल कर लिया है। इसे जीएसटी पोर्टल की पूरी आईटी प्रणाली विकसित करनी है जो जीएसटी पंजीकरण, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान आदि के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सुनिश्चित करेगी। कर प्रशासन कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण: चूंकि जीएसटी मौजूदा प्रणाली से काफी अलग है, इसलिए इसे कानून प्रक्रिया के बारे में कर प्रशासन कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

जीएसटी की पेचीदगियों को समझना आसान नहीं है: थोक व्यापारी को सीजीएसटी को केंद्र सरकार के खाते में और एसजीएसटी को राज्य सरकार के खाते में जमा करना होगा।

खरीदारों और विक्रेताओं से प्रत्येक डॉकेट को जीएसटी प्रणाली में उचित रूप से शामिल करने का इरादा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ पूरी श्रृंखला को मिले।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

- इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है।
- जीएसटी से दीर्घकाल में सरकार का राजस्व बढ़ेगा।
- एकल कर से उपभोक्ता के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कम करने में मदद मिलेगी।
- जीएसटी से भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा।
- इससे कर अनुपालन और लेनदेन लागत में कमी आएगी।
- इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
- जीएसटी से कर आधार का विस्तार होकर सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।
- कर कानूनों में एकरूपता से पूरे भारत में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एकल बिंदु कराधान लागू हो जाएगा।
- इससे न्यायिक निर्णय और अपीलीय प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर निरर्थक कार्यवाहियों के कारण न्यायपालिका और करदाता के समय की बर्बादी और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी।
- उत्पादकों पर कर का बोझ कम करें और अधिक उत्पादन के माध्यम से विकास को गति प्रदान करें। यह दोहरा कराधान निर्माताओं को उनकी अधिकतम क्षमता तक उत्पादन करने से रोकता है और विकास को धीमा करता है।
- सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि ग्राहकों को पता होगा कि उनसे कितना टैक्स लिया जा रहा है और किस आधार पर। जीएसटी निर्यात पर सीमा शुल्क हटाने में भी मदद करेगा।
- लेनदेन की लागत कम होने से विदेशी बाजारों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।-

- विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी का प्रभाव-

तकनीक

जीएसटी से कई तरह के शुल्क खत्म हो जाएंगे। इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी। निर्मित वस्तुओं पर शुल्क 14-15% से बढ़कर 18% हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

एफएमसीजी

कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और वितरण लागत में काफी बचत हो सकती है क्योंकि अनगिनत बिक्री डिपो की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। FMCG कंपनियों को लगभग 24-25% कर देना पड़ता है और GST से कर में कमी लाने में मदद मिलेगी। कुल कर दरों में कमी से बचत होने की उम्मीद है।

ई-कॉमर्स
जीएसटी पूरे भारत में एक एकीकृत बाजार बनाने में मदद करेगा और देश के हर हिस्से में माल की मुक्त आवाजाही और आपूर्ति की अनुमति देगा। यह ग्राहकों पर करों के व्यापक प्रभाव को भी समाप्त करेगा जिससे उत्पाद लागत में दक्षता आएगी। यह ई-कॉमर्स फर्मों के लिए कार्यभार बढ़ा सकता है और लागत बढ़ा सकता है।

दूरसंचार

हैंडसेट की कीमतें राज्यों में कम होने/समान होने की संभावना है। निर्माता अपने गोदामों को मजबूत करने और इन्वेंट्री को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने से उपभोक्ताओं को मिलने वाले शुल्क लाभ पर आगे बढ़ने की संभावना रखते हैं। हैंडसेट निर्माताओं के लिए, जीएसटी को काम करने में आसानी की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें अब राज्य की अड़ियल संस्थाओं को मजबूत करने और उन्हें स्टॉक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और देश भर में प्रत्येक राज्य में गोदाम बनाने के लिए रसद में भारी निवेश करना होगा। जीएसटी व्यवस्था में कर की दर 15% से अधिक होने पर कॉल शुल्क, डेटा दरें बढ़ जाएंगी। यदि पेट्रो-उत्पाद जीएसटी ढांचे से बाहर रहना जारी रखते हैं, तो टावर फर्म अपनी इनपुट ड्यूटी देनदारियों को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे।

ऑटोमोबाइल

वाहनों की ऑन रोड कीमत में 8% की कमी आ सकती है। कम कीमत को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन के रूप में माना जा सकता है। वाणिज्यिक वाहनों की मांग बढ़ सकती है। जीएसटी चेक-पोस्ट पर समय कम करने में मदद करेगा, और लॉजिस्टिक्स बाधाओं को कम करेगा। बेड़े की उत्पादकता बढ़ने के साथ, ऑपरेटरों को मध्यावधि विस्तार की आवश्यकता महसूस नहीं हो सकती है।

मिडिया

डीटीएच, फिल्म निर्माताओं और मल्टीप्लेक्स खिलाड़ियों पर सेवा कर और मनोरंजन कर लगाया जाता है। जीएसटी व्यवसायों में प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु और नीरसता को आकर्षित करेगा। करों में 2-4% की कमी हो सकती है। मल्टीप्लेक्स चेन राजस्व पर एकत्रित होंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए मनोरंजन के वर्तमान उच्च परिव्यय के विपरीत,

बेहतर तरीके से एक समान भार होगा। यह औसत टिकट की कीमत को कम कर सकता है और मल्टीप्लेक्स में फुटफॉल बढ़ा सकता है। जीएसटी सिल्वर स्क्रीन निर्माताओं और स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा जो वर्तमान में अपने अधिकांश चार्ज पर सेवा कर लगाते हैं, लेकिन रचनात्मक सेवाओं पर इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि वे नकारात्मक सूची में आते हैं। जीएसटी के तहत, वे इन सेवाओं का क्रेडिट भी दावा कर सकेंगे, जो समग्र लागत को कम करने में उनकी मदद करेगा।

बीमा

बीमा पॉलिसियाँ: जीवन, स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियाँ अप्रैल 2017 से महंगी होने लगेंगी क्योंकि करों में वृद्धि होगी।

एयरलाइंस

विमान यात्रा महंगी हो सकती है, क्योंकि सर्विस टैक्स की जगह अब GST लागू हो जाएगा। पहले एयर टिकट पर सर्विस टैक्स इकोनॉमी क्लास पर 5.6% और बिजनेस क्लास पर 8.4% था। अब इकोनॉमी क्लास पर GST की दर 5% और बिजनेस क्लास पर 12% होगी।

सीमेंट

वर्तमान में सीमेंट पर कर की दरें 27% - 32% हैं, लेकिन जीएसटी से यह दर घटकर 18-20% हो जाएगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की है, जो एकीकृत कर संरचना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यापक सुधार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया है, अनुपालन के बोझ को कम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाया है। जीएसटी के लाभ कर राजस्व में वृद्धि, व्यापक कर आधार और लेन-देन में बेहतर पारदर्शिता के रूप में स्पष्ट हैं, जो सामूहिक रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके लाभों के बावजूद, जीएसटी में संक्रमण ने चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए जो नई अनुपालन आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करते हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं में शुरुआती व्यवधान और मुद्रास्फीति के बारे में चिंताएं भी विवाद के क्षेत्र रहे हैं। हालांकि, जीएसटी के दीर्घकालिक लाभ, जैसे कि अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण, बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि और बेहतर सार्वजनिक कल्याण निधि, सतत आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा वादा करते हैं। निष्कर्ष रूप में, जबकि जीएसटी का पूरा प्रभाव सामने आना जारी है, भारतीय आर्थिक परिदृश्य को नया रूप देने की इसकी क्षमता महत्वपूर्ण है। जीएसटी ढांचे का निरंतर मूल्यांकन और परिशोधन, साथ ही इस बदलाव से गुजर रहे व्यवसायों के लिए सहायक उपाय, इसके इच्छित लाभों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे-जैसे भारत एक अधिक एकीकृत और कुशल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जीएसटी एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में खड़ा है जो विकास को गति दे सकता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है और अंततः देश के विकास में योगदान दे सकता है।

संदर्भ

[1] जाधव भीका लाला "जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च, जून, 2017।

[2] पल्लवी कपिला)2018) "जीएसटीभारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशन, जनवरी 2018।

[3] डॉ बालासुदरसन और मेलविन पॉल एंटनी .एल.एन ."जीवन बीमा क्षेत्र में विमुद्रीकरण और जीएसटी का प्रभाव", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, अप्रैल 2018।

[4] प्रो अहेर .योगेश एल .कावले और प्रो .पूजा एस ."जीएसटी :एक आर्थिक अवलोकन :चुनौतियां और प्रभाव आगे", इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईआरजेईटी), अप्रैल, 2017।

[5] मोनिका सेहरावत और उपासना ढांडा "भारत में जीएसटीएक प्रमुख कर सुधार :", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ग्रंथालय -, दिसंबर, 2015।

[6] लौरडुनाथन एफ और जेवियर पी "भारत में वस्तु एवं सेवा कर :के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन (जीएसटी) संभावनाएँ और चुनौतियाँ", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च, 2017.

[7] शेफाली दानी "भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव पर एक शोध पत्र (जीएसटी)", बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नल, 2016.

[8] डॉ) वसंतगोपाल .आर .2011), "भारत में जीएसटीअप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में एक बड़ी छलांग :", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, खंड 2, संख्या 2, अप्रैल 2011.

[9] कुमार, नितिन)2014). भारत में वस्तु एवं सेवा करग्लोबल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिस .आगे की राह :िप्लिनरी स्टडीज़, 3(6), 216-225